न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 36/2026 बउनवानी जितेन्द्र पा बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर चंदेल पुत्र बजरंगलाल खटीक निवासी ब्रहमपुरी मौहल्ला शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/55

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
25.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.1.2026. को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **मृत राज्य कर्मचारी के नाम से चल नही विभागीय जॉच व उसके नाम से ली गयी ऋण पॉलिसी की शेष राशि माफ कर दी जाती है उसी नियम उप नियम आदेश निर्णय परिपत्रादि जो राज्य सरकार ने जारी कर रखे है, मृतक कर्मचारी के वारिसान को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के नियम, बैंक से लोन लेने पर सरपेसी के तहत की जाने वाली कार्यवाही के नियमो की प्रमाणित सूचना**" अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(01)(05)सूकाअ/2025/320 दिनांक 16.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2026 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध मे नगर परिषद सवाईमाधोपुर से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत नगर परिषद को अन्तरित कर अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना के लिए ऋण का स्पष्ट विवरण अंकित नही होने से सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना dop .rajasthan.gov.in व anukampa.gov.in पर उपलब्ध होने बाबत अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.01.2026 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए अपीलान्ट को आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत नगर परिषद को अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 2की सूचना कार्मिक विभाग की साईट से प्राप्त करने हेतु लिखा जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना दिया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner